दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि : 9 जनवरी, 2014
उद्घोषित तिथि: 24 जनवरी, 2014

आप.अ. 372/1998

राज्य ..... अपीलार्थी

के माध्यम से: उप.नि.संदीप शर्मा, थाना वसंत कुंज, के साथ राज्य के लिए अति.लो.अभि.सुश्री राजदीपा बेहुरा।

बनाम

रामपाल सिंह और अन्य .... प्रत्यर्थीगण

के माध्यम से: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमन लेखी, के साथ अधिवक्ता श्री जितेंद्र त्रिपाठी

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना
माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी.मित्तल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. श्री जी.पी. मित्तल,</u>

1. प्रत्यर्थीगण राम पाल सिंह और परविंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं) की धारा 302/392/382 के साथ पठित धारा 120-ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए सत्र मामला सं. 58/1996 में विचारण का

सामना करना पड़ा। दिनांक 29.09.1997 के एक फैसले द्वारा, उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

2. व्यथित महसूस करते हुए, राज्य ने आक्षेपित निर्णय के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी और दिनांक 26.08.1998 के आदेश द्वारा उसे अनुमति दे दी गई। अपील के आधारों पर विचार करने से पहले, अभियोजन पक्ष का कथन लिखना उचित होगा।

3. दिनांक 22.01.1994 को सुबह करीब 9:30 बजे, मृतक सरन पाल सिंह कोहली के पिता, शिकायतकर्ता (कैप्टन हरचरण सिंह कोहली/अभि.सा.-4) ने अपने बेटे से टेलीफोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके घर से कोई जवाब नहीं आया। फिर से दोपहर करीब 2:00 बजे, उन्होंने स्वर्गीय सरन पाल सिंह कोहली के घर पर लगे आवासीय टेलीफोन पर कॉल किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। दोपहर करीब 3:00 बजे, शिकायतकर्ता को नीरू नामक व्यक्ति का फोन आया जिसने उससे (शिकायतकर्ता से) पूछा कि राजेश कौर (मृतक सरन पाल सिंह कोहली की पत्नी) को 20.01.1994 को नीरू के भाई के घर, यानी सी-80, मालवीय नगर, नई दिल्ली में कीर्तन में भाग लेने जाना था, लेकिन वह वहां नहीं गई। शिकायतकर्ता चिंतित हो गया और उसने फिर से अपने बेटे के घर पर फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

4. शिकायतकर्ता चिंतित था और इसलिए लगभग 4:45 बजे उसने अपने बेटे के पड़ोसी श्री वाधवा को फोन किया और उसकी पत्नी से बात की और उससे अनुरोध किया कि वह उसके बेटे के घर जाए और देखे कि उसके द्वारा किए गए फोन कॉल का कोई जवाब क्यों नहीं आया। वाधवा की पत्नी मृतक के घर गई और फ्लैट का दरवाजा खुला पाया और दरवाजे के पास खून के धब्बे देखे। वह घबरा गई और उसने शिकायतकर्ता को फोन पर सूचना दी। शिकायतकर्ता ने तुरंत शाम 5:00 बजे पुलिस को सूचित किया और साथ ही अपने दूसरे बेटे रविंदर सिंह कोहली के साथ अपने बेटे के घर चला गया। जब पुलिस और शिकायतकर्ता फ्लैट सं. डी-III/3122, ग्राउंड फ्लोर, वसंत कुंज, नई दिल्ली, यानी मृतक सरन पाल सिंह कोहली के घर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि सरन पाल सिंह कोहली, उनकी पत्नी राजेश कौर और उनके दो बेटे तेग प्रताप सिंह और राणा प्रताप सिंह खून से लथपथ पड़े थे और उनके शरीर के कई हिस्सों पर कई चोटें थीं। इसके बाद, स्वर्गीय राजेश कौर के भाई अमरजीत सिंह (अभि.सा.-3) अपनी पत्नी जसबीर कौर (अभि.सा.-2) के साथ वहां पहुंचे।

5. शिकायतकर्ता ने थानाध्यक्ष को बयान प्र.अभि.सा.-4/ए दिया जिसमें पहले बताए गए तथ्यों का ब्यौरा दिया गया। थानाध्यक्ष ने एक पृष्ठांकन प्र.अभि.सा.-46/ए बनाया और मामला दर्ज करने के लिए

पुलिस स्टेशन को भेज दिया। बयान में कहा गया कि हालांकि घर में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में कीमती सामान, जैसे कलाई घड़ियां, वीडियो कैमरा, वीसीआर, टीवी, आदि बरकरार पाए गए। बयान में थानाध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि हरचरण सिंह कोल्ही (शिकायतकर्ता) और उसके रिश्तेदार इस समय घर में नकदी और आभूषणों की उपलब्धता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं।

6. आपराधिक दल ने घटनास्थल का दौरा किया। 21अंगुली के निशान, एक पर्स (प्र.अभि -39) जिसमें अमलराज नामक व्यक्ति की तस्वीर थी और बाथरूम के पास पड़े दस्ताने जब्त किए गए। अपराध दल ने एक रिपोर्ट प्र.अभि.सा.34/क तैयार की जिसमें उल्लेख किया गया था कि चोरी की गई संपत्ति का पता नहीं है। जांच के दौरान, बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों (शायद 52 नमूने) के नमूने के अंगुली/हथेली के निशान प्राप्त किए गए जो मृतक के परिचित थे या जो अपराध से जुड़े हो सकते थे। प्रत्यर्थी राम पाल सिंह ऐसे ही एक व्यक्ति थे और इसलिए, दिनांक 14.02.1994 को उनके अंगुली के निशान भी प्राप्त हुए। अभियोजन पक्ष ने यह मामला स्थापित किया है कि दिनांक 19.02.1994 को, अनौपचारिक सूचना प्राप्त होने पर कि एक अंगुली के निशान प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के नमूना अंगुली के निशान से मेल खाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने दिनांक

20.02.1994 को अपना पहला खुलासा बयान दिया। उक्त खुलासे के बयान के आधार पर, राजस्थान के चौबारा गांव में राम पाल सिंह के पिता के घर से कुछ छोटे आभूषणों की बरामदगी की गई। प्रथम प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी के बाद, दूसरे प्रत्यर्थी परविंदर सिंह को दिनांक 21.02.1994 को गिरफ्तार किया गया। उसने अपना पहला प्रकटीकरण बयान दिनांक 21.02.1994 को और दूसरा प्रकटीकरण बयान दिनांक 24.02.1994 को दिया। दो आरोपी व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयानों के अनुसरण में, नेल्सन मंडेला मार्ग पर पावर हाउस के पास एक खुले स्थान से दो *गंडासे* बरामद किए गए। डॉ. अरविंद थेरगांवकर (अभि.सा.-20) जिन्होंने चारों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया, ने राय दी कि उनके शरीर पर चोटें गंडासों प्र.अभि.-21 और प्र.अभि.-22 के कारण हो सकती हैं। प्रत्यर्थी परविंदर सिंह की निशानदेही पर कुछ शेयर प्रमाण पत्र भी कथित रूप से बरामद किए गए, जो मृतक सरन पाल सिंह या उसके परिवार के सदस्यों या तीसरे व्यक्ति के नाम पर थे।

7. चौबारा गांव में राम पाल सिंह के पिता के घर से बरामद आभूषणों की पहचान जब जांच के लिए रखी गई तो मृतक राजेश कौर के भाई और भाभी ने उनकी पहचान की। जांच पूरी होने के बाद प्रत्यर्थीगण के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.) की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पेश की गई।

8. प्रत्यर्थीगण द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/392/397/449 के साथ पठित धारा 120-ख और 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप में दोषी न होने की दलील देने पर, अभियोजन पक्ष ने प्रत्यर्थीगण को दोषी साबित करने के लिए 43 गवाहों की जांच की। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अति.सत्र.न्या.) ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्यर्थीगण को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए 09 परिस्थितियों का पता लगाया। साक्ष्य की सराहना करने पर, विद्वान अति.सत्र.न्या. ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया था, उन्हें साबित करने में विफल रहा और इस प्रकार प्रत्यर्थीगण को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

9. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, जब तक कि विचारण न्यायलय का फैसला गलत न हो, अपीलीय न्यायालय को अपना खुद का दृष्टिकोण बदलने और बरी किए जाने के फैसले को पलटने का कोई औचित्य नहीं होगा। *अरुलवेलु व अन्य बनाम राज्य व अन्य,* (2009) 10 एससीसी 206 में *गया दीकन बनाम हनुमान प्रसाद,* (2001) 1 एससीसी 501 पर भरोसा करते हुए, सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि "विकृत" शब्द का अर्थ है कि अधीनस्थ प्राधिकारी के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों द्वारा समर्थित नहीं हैं या वे कानून के खिलाफ हैं या प्रक्रियात्मक अनियमितता के दोष से ग्रस्त हैं।

यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य के या ऐसे साक्ष्य पर आता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं और कोई भी उचित व्यक्ति इस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश गलत होगा।

10. *सैयद पेडा औलिया बनाम सरकारी अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद,* (2008) 11 एससीसी 394 में, बरी किये जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> *"5. अपीलीय न्यायालय द्वारा उन साक्ष्यों की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिन पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है। आम तौर पर, दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोषमुक्ति से अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा और मजबूत होती है। आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन में जो कड़ी है, वह यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो, उसे अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। दोषी को बरी किए जाने से न्याय में जो चूक हो सकती है, वह किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य को नजरअंदाज किया जाता है, अपीलीय न्यायालय पर यह दायित्व डाला जाता है कि वह उस साक्ष्य*

का फिर से मूल्यांकन करे, जहां अभियुक्त को बरी किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्तों में से किसी ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं। भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 4 एससीसी 85 देखें। बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांत के अनुसार हस्तक्षेप तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रक्रिया में प्रासंगिक और विश्वसनीय सामग्री को अनुचित तरीके से हटा दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप के लिए बाध्यकारी कारण है।"

11. राज्य की विद्वान अति.लो.अभि. सुश्री राजदीपा बेहुरा ने विद्वान अति.सत्र.न्या. द्वारा खोजी गई 09 परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के माध्यम से हमें इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यर्थीगण के खिलाफ मामला वास्तव में सभी उचित संदेहों से परे साबित हुआ था। उनका तर्क है कि विद्वान अति.सत्र.न्या. ने दोषी न होने का निष्कर्ष निकालने में गलती की है। उन्होंने आग्रह किया कि विद्वान अति.सत्र.न्या. द्वारा पाया गया निष्कर्ष इसके विपरीत होने योग्य है।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमन लेखी का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए

वैध और न्यायोचित कारण दिए हैं कि प्रत्यर्थीगण को उस अपराध से जोड़ने के लिए कोई भी दोषपूर्ण परिस्थिति नहीं थी जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि जो निष्कर्ष निकाला गया है वह गलत है। उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों में बहुत अधिक अंतराल और गायब कड़ियाँ थीं और इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय अच्छी तरह से स्थापित और तार्किक है।

13. यह अच्छी तरह स्थापित है कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें प्रथम दृष्टया पूर्णतः स्थापित किया जाना चाहिए; परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए; सभी परिस्थितियों से अभियुक्त का अपराध स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए; रिकॉर्ड पर सिद्ध परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषता से असंगत होनी चाहिए तथा परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए तथा यह साबित किया जाना चाहिए कि सभी संभावनाओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था। *(हनुमंत गोविंद नरगुंडकर व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1952 एससी 343 और शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984)4 एससीसी 116)।*

14. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन नौ परिस्थितियों पर भरोसा किया गया तथा जिन्हें आरोपित निर्णय के पैरा 10 में दर्शाया गया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

> *"1. मृतक सरनपाल सिंह कोहली और अभियुक्त राम पाल सिंह को अंतिम बार दिनांक 21.1.94 को रवीश कुमार मट्टा के कार्यालय में एक साथ देखा गया था।*
>
> *2. घटनास्थल पर बटुआ पड़ा हुआ पाया गया जिसमे प्र.अभि. -39 जिसमें फोटो प्र.अभि.-40 था, और बाद में पता चला कि इसे आरोपी व्यक्तियों ने गाजियाबाद के पी.एस. कोतवाली के मालखाना मोहर्रार के घर से चुराया था।*
>
> *3. घटनास्थल से खून से सने दस्ताने भी जब्त किए गए और पाया गया कि आरोपियों ने अपराध करने से पहले इन्हें खरीदा था।*
>
> *4. अभियुक्त राम पाल सिंह के अंगुली के निशान के नमूने प्राप्त किए गए तथा अंगुलि चिह्न विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल से प्राप्त अंगुली के निशान से उनका मिलान करने पर वे समान पाए गए।*
>
> *5. अभियुक्त राम पाल सिंह की गिरफ्तारी के समय और उसके बाद उसके प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में, उक्त अभियुक्त के कब्जे से 7067 रूपये मूल्य के मुद्रा बरामद की गई, जो डॉलरों की बिक्री से प्राप्तियां बताये गये थे, लूटे गये आभूषण उसके पिता के गांव चौबारा से बरामद किये गये और उसके बाद उक्त अभियुक्त के गाजियाबाद स्थित घर से उसके खून से सने कपड़े और जूते भी बरामद*

किये गये तथा उक्त अभियुक्त की जैकेट प्र.अभि.-64 भी जब्त कर ली गयी।

6. चौबारा गांव से आरोपी राम पाल सिंह के पिता के घर से बरामद आभूषणों की बाद में टीआईपी के दौरान गवाहों द्वारा पहचान की गई थी, जो मृतक सरनपाल सिंह कोहली और श्रीमती राजेश कौर के थे।

7. अभियुक्त परविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मोटर साइकिल प्र.अभि.-23 बरामद कर ली है, जिसका प्रयोग अभियुक्तों द्वारा इस अपराध को करने में किया गया था और उक्त मोटर साइकिल उनके द्वारा थाना कोतवाली, गाजियाबाद के मालखाने से चोरी की गई थी और उक्त मोटर साइकिल भी पहले थाना लाजपत नगर के क्षेत्र से चोरी की गई थी।

8. आरोपी परविंदर सिंह ने शेयर प्रमाण पत्र और विदेशी मुद्रा भी बरामद करवाये जो मृतक सरनपाल सिंह कोहली और उसकी मां, परिवार के सदस्यों की पाई गई और उसके खून से सने कपड़े यानी शर्ट प्र.अभि.-61, पैंट प्र.अभि.-62 और स्वेटर प्र.अभि.-63 भी जब्त कर लिए गए।

9. दोनों आरोपियों ने अपने खुलासे के अनुसार गंडासे प्र.अभि.-21 और प्र.अभि.-22 भी बरामद कर लिए हैं, जिनसे हत्याएं की गई थीं और सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने भी यह राय दी है कि मृतकों के शवों पर पाई गई चोटें उक्त गंडासों के कारण हो सकती हैं।

<u>परिस्थितियाँ 1,2,3 व 7</u>

15. हमारे विचार में, इन परिस्थितियों को किसी भी तरह से अपराधी या वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियाँ नहीं कहा जा सकता है, जो प्रत्यर्थीगण को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराएँ। परिस्थिति सं. 1 की बात करें तो अभियोजन पक्ष का यह मामला ही नहीं है कि मृतक सरन पाल सिंह कोहली को आखिरी बार प्रत्यर्थीगण में से किसी के साथ जीवित देखा गया था। अभियोजन पक्ष ने यह मामला बनाने की कोशिश की है कि मृतक को घटना से एक दिन पहले दोपहर करीब 3:00 बजे श्री मट्टा के कार्यालय में प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के साथ जीवित देखा गया था। बेशक, श्री मट्टा के कार्यालय में बहुत सारे लोग थे। इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया है कि प्रत्यर्थी राम पाल सिंह मृतक के साथ नेहरू प्लेस स्थित श्री मट्टा के कार्यालय से उसके (मृतक के) घर गए थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक के पिता (अभि.सा.-4) ने भी मृतक से उसके निवास पर रात करीब साढ़े दस बजे टेलीफोन पर बात की थी। अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब सामने आता है जब मृतक की मृत्यु और मृतक को अभियुक्त के साथ जीवित देखे जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त पर यह स्पष्ट करने का दायित्व आ जाता है कि मृतक उससे कहां अलग हुआ था। जिस स्थान पर मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और जिस स्थान पर वह मृत पाया गया, उनकी निकटता एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे देखा जाना है। जिस स्थान पर मृतक और

प्रथम प्रत्यर्थी को एक साथ देखा गया था तथा मृतक की मृत्यु के समय और उसकी मृत्यु के स्थान के बीच बहुत बड़ा समय अंतराल तथा बहुत अधिक दूरी है।

16. इसी तरह, अभियोजन पक्ष ने यह मामला बनाने की कोशिश की कि प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर वॉलेट प्र.अभि.-39 को पुलिस को गुमराह करने के लिए छोड़ दिया था ताकि अपराध के वास्तविक अपराधियों के बारे में पता चल सके। यह साबित करने की कोशिश की गई कि प्रत्यर्थीगण को अमलराज का वॉलेट प्र.अभि.-39 मनोज नामक व्यक्ति के माध्यम से मिला, जो यूपी पुलिस में पुलिस अधिकारी का बेटा था, जिसमें उक्त अमलराज ने अपना वॉलेट मालखाना में जमा किया था, जब वह प्र.सू.रि. सं.16/1991 वाले मामले में आरोपी था। हालाँकि उक्त अमलराज का बयान जाँच के दौरान धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किया गया था, फिर भी इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल न्यायालय में दिए गए बयान की पुष्टि के उद्देश्य से किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत बयान अपने आप में ठोस सबूत नहीं है क्योंकि अभियुक्त के पास जिरह का अधिकार और अवसर नहीं है। यह सुझाव देने की कोशिश की गई कि अभि.सा. अमलराज को पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हालाँकि, अमलराज की मृत्यु

भी साबित नहीं हुई। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया था।

17. विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि नोएडा सेक्टर 49 थाना में दर्ज प्राथमिकी 16/1991, जिसमें बटुआ प्र.अभि.-39 को जब्त करने की मांग की गई थी, पेश नहीं की गई। अभि.सा.-41 एचसी महादेव सिंह यह भी नहीं बता पाए कि क्या बटुआ प्र.अभि.-39 वही था जो थाना नोएडा में मिला था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थिति सं. 2 स्थापित नहीं की गई थी।

18. जहां तक परिस्थिति सं. 3 का सवाल है, अभियोजन पक्ष ने यह मामला बनाने की कोशिश की कि ये दस्ताने प्रत्यर्थीगण राम पाल सिंह और परविंदर सिंह ने मेसर्स भारतीय मेडिकल स्टोर से खरीदे थे, जिसका मालिक सुधीर कुमार (अभि.सा.-13) है। न्यायालय में अपनी जांच के दौरान अभि.सा. -13 न तो यह पहचान सका कि दस्ताने उसके द्वारा बेचे गए थे और न ही वह प्रत्यर्थीगण को उन व्यक्तियों के रूप में पहचान सका जिन्होंने उससे कोई दस्ताने खरीदे थे। बरामद दस्ताने बाजार में आसानी से उपलब्ध साधारण रबर के दस्ताने हैं। घटनास्थल से दस्तानों की बरामदगी से किसी भी तरह से प्रत्यर्थीगण का अपराध के साथ कोई संबंध नहीं जुड़ता। इसलिए, विचारण न्यायलय ने परिस्थिति सं.3 को सही तरीके से खारिज कर दिया।

19. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह पाया गया और स्थापित किया गया कि अपराध मोटरसाइकिल प्र.अभि.-23 का उपयोग करके किया गया था। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यह प्रत्यर्थीगण के खिलाफ परिस्थिति कैसे हो सकती है। इस बात का एक भी सबूत नहीं था (प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए खुलासे/स्वीकारोक्ति बयान को छोड़कर) कि इस अपराध में मोटरसाइकिल सं. यूपी-14-ए 7813 का इस्तेमाल किया गया था।

20. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम) की धारा 25 पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को किसी भी विचार से बाहर रखती है। इसी तरह, अधिनियम की धारा 26 किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए की गई स्वीकारोक्ति को बाहर रखती है, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न की गई हो। अधिनियम की धारा 27 जो अधिनियम की धारा 25 और 26 के अपवाद के रूप में है, अभियुक्त द्वारा दी गई केवल उतनी ही जानकारी को स्वीकार करती है जो जानकारी के अनुसरण में खोजे गए तथ्यों से स्पष्ट रूप से संबंधित हो। वस्तु की बरामदगी को उसके द्वारा *खोजे गए* तथ्य से अलग किया जाना चाहिए। यदि प्रदान की गई सूचना के अनुसरण में कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जो अभियुक्त को अपराध करने से जोड़ता है, तो केवल वही तथ्य प्रासंगिक हो जाता है।

21. *पुलुकुरी कोट्टाया व अन्य बनाम एम्परर, एआईआर 1947 पीसी 67* में प्रिवी काउंसिल ने पुलिस हिरासत में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के अनुसरण में खोजी गई वस्तु और तथ्य की खोज के बीच के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाया। उनके माननीय न्यायमूर्तिगण ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *"धारा 27, जिसे सृजनात्मक रूप से नहीं लिखा गया है, पिछली धारा द्वारा लगाए गए निषेध के लिए अपवाद प्रदान करती है, और पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कुछ बयानों को साबित करने में सक्षम बनाती है। धारा को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज के लिए गवाही दी जानी चाहिए, और उसके बाद उतनी जानकारी साबित की जा सकती है जितनी कि उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है। यह धारा इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रतीत होती है कि यदि दी गई सूचना के परिणामस्वरूप वास्तव में कोई तथ्य खोजा जाता है, तो इससे कुछ गारंटी मिलती है कि सूचना सत्य थी, और तदनुसार इसे सुरक्षित रूप से साक्ष्य में दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है; लेकिन स्पष्ट रूप से स्वीकार्य सूचना की सीमा खोजे गए तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए जिससे ऐसी सूचना को संबंधित होना आवश्यक है। आम तौर पर यह धारा तब लागू होती है जब पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति किसी छिपी हुई जगह से कोई वस्तु, जैसे कि शव, हथियार या आभूषण आदि लाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उस अपराध*

से जुड़ा है जिसका मुखबिर आरोपी है। सरकार के लिए श्री मेगॉ ने तर्क दिया है कि ऐसे मामले में "खोजा गया तथ्य" वह भौतिक वस्तु है जो पेश की गई है, और कोई भी जानकारी जो उस वस्तु से अलग से संबंधित है, उसे साबित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि पेश किया गया शव उसके द्वारा मारे गए व्यक्ति का है, कि पेश किया गया हथियार वह है जिसका इस्तेमाल उसने हत्या करने में किया था, या कि पेश किए गए आभूषण डकैती में चुराए गए थे, सभी स्वीकार्य होंगे। यदि धारा 27 का यही प्रभाव है, तो पुलिस के समक्ष या पुलिस हिरासत में व्यक्तियों द्वारा किए गए इकबालिया बयानों पर दो पूर्ववर्ती धाराओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में बहुत कम सार रह जाएगा। यह प्रतिबंध संभवतः विधानमंडल के इस डर से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में कोई व्यक्ति अनुचित दबाव के प्रयोग से अपराध स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो सकता है। लेकिन यदि प्रतिबंध हटाने के लिए केवल यह आवश्यक है कि बाद में प्रस्तुत की गई वस्तु से संबंधित जानकारी को स्वीकारोक्ति में शामिल किया जाए, तो यह मानना उचित प्रतीत होता है कि पुलिस की प्रेरक शक्तियाँ अवसर के अनुरूप ही साबित होंगी, और व्यवहार में प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देगा। निर्माण के सामान्य सिद्धांतों पर उनके माननीयों का मानना है कि धारा 27 द्वारा जोड़ा गया धारा 26 का परंतुक धारा के सार को निरस्त करने वाला नहीं माना जाना चाहिए। उनके माननीयों के विचार में धारा के भीतर "खोजे गए तथ्य" को प्रस्तुत की गई वस्तु के बराबर मानना भ्रामक है; खोजा गया तथ्य उस स्थान को शामिल करता है जहाँ से वस्तु प्रस्तुत की गई है और इस बारे में अभियुक्त का ज्ञान है, और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित

होनी चाहिए। उत्पादित *वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस परिस्थिति में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि "मैं अपने घर की छत में छिपा हुआ एक चाकू पेश करूंगा" चाकू की खोज की ओर नहीं ले जाती है; चाकू कई साल पहले खोजे गए थे। यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि मुखबिर के घर में उसकी जानकारी के अनुसार चाकू छिपा हुआ है, और यदि चाकू का इस्तेमाल अपराध करने में किया गया साबित होता है, तो खोजा गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर बयान में शब्द "जिससे मैंने ए को चाकू मारा" जोड़ दिए जाएं तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे मुखबिर के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।"*

22. वर्तमान मामले में, कथित प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में किसी भी भौतिक तथ्य की खोज नहीं हुई कि अपराध को अंजाम देने में मोटर साइकिल सं. यूपी सं.-14-ए7813 का इस्तेमाल किया गया था।इस प्रकार, उस सीमा तक प्रकटीकरण कथन साक्ष्य में अस्वीकार्य है। अभियोजन पक्ष द्वारा जिस परिस्थिति सं. 7 पर भरोसा किया गया है, वह परिणामस्वरूप अप्रासंगिक है।

<u>परिस्थिति सं.4</u>

23. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि.ने इस परिस्थिति पर बहुत जोर दिया है, ताकि बरी करने के इस आदेश को पलटा जा सके। विद्वान ने आग्रह

किया है कि उंगलियों के निशान का विज्ञान लगभग संपूर्ण विज्ञान है। अभि.सा.34 सहा.उप.नि. चेत राम ने घटना के तुरंत बाद मौके से 21 उंगलियों के निशान उठाए। इनमें से एक उंगलियों के निशान प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के नमूना उंगलियों के निशान से मेल खाता है, जो 14.02.1994 को प्राप्त किए गए थे। विद्वान अति.सत्र.न्या. ने यह मानने से इंकार कर दिया कि नमूना उंगलियों के निशान, पाए गए उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं, इस आधार पर कि (क) ब्रिटानिया केक टिन *डब्बा*, जिसमें से समान उंगलियों के निशान लिए गए थे, जब्त नहीं किया गया था; (ख) हेड कांस्टेबल इंदर सिंह, जिन्होंने सहा.उप.नि. चेत राम (अभि.सा.-34) द्वारा तैयार उंगलियों के निशान की तस्वीरें ली थीं, पेश नहीं किया गया था; और (ग) सीएफएसएल के निदेशक जगजीत कुमार कौशिक (अभि.सा-36) द्वारा उंगलियों के निशान के संबंध में निगेटिव पेश नहीं किए गए थे।

24. हम ध्यान दें सकते हैं कि यह बहुत रहस्यमय था कि निरीक्षक रमेश कौशिक (अभि.सा.-46) द्वारा उंगलियों के निशान के निगेटिव को रिकॉर्ड पर कैसे लाया गया, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने सहा.उप.नि. ललित मोहन (अभि.सा.-45) से निगेटिव एकत्र किए थे, लेकिन अभि.सा.-45 ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उन्होंने फिंगर प्रिंट ब्यूरो से तस्वीरों के निगेटिव एकत्र किए थे। विचारण न्यायालय ने पाया कि निरीक्षक रमेश

कौशिक (अभि.सा.-46) द्वारा यह कहना भी बहुत रहस्यमय था कि दिनांक 19.02.1994 को अनौपचारिक सूचना प्राप्त हुई थी कि मौके से विकसित किए गए उंगलियों के निशान को प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के नमूने के उंगलियों के निशान के समान पाया गया था। विचारण न्यायालय ने पाया कि निरीक्षक रमेश कौशिक से अनौपचारिक जानकारी के स्रोत के बारे में पूछा गया था, जिन्होंने पुलिस उपायुक्त यू.एन. राव को इस जानकारी को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में सामने लाया। विचारण न्यायालय ने पाया कि पुलिस उपायुक्त यू.एन. राव से मामले में गवाह के तौर पर पूछताछ नहीं की गई थी और यह मानना बहुत मुश्किल था कि क्या सीएफएसएल के निदेशक द्वारा कोई अनौपचारिक जानकारी इस तरह से दी जा सकती है।

25. हम इस परिस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हैं। वास्तव में अभि.सा.-36 ने दिनांक 13.05.1997 को दर्ज की गई अपनी जिरह में यह बयान दिया था कि उसके द्वारा लाई गई फाइल पर निगेटिव (उंगलियों के निशान) उपलब्ध थे। उसने कहा कि वह सूर्य के प्रकाश में निगेटिव की पुष्टि किए बिना यह नहीं बता सकता कि फाइल पर जो निगेटिव थे, वे प्र.अभि.-36/डी और पी-36/ई के थे या नहीं। गवाह को अभियुक्त के अधिवक्ता के साथ धूप में जाने की अनुमति दी गई। विचारण न्यायलय ने पाया कि गवाह ने न्यायालय की अनुमति के बिना ब्यूरो के फोटोग्राफर से कई अन्य निगेटिव एकत्र

किए थे, जो न्यायलय के बाहर खड़ा था और गवाह ने निगेटिव देखने के बाद, जिसे उसने धूप में सत्यापित करने के लिए लिया था, कहा कि अभि.सा.-36/डी और अभि.सा.-36/ई के निगेटिव फाइल में नहीं थे।

26. हमने विचारण न्यायलय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध एक लिफाफे से निगेटिव की एक पट्टी (जिसमें कुछ उंगलियों के निशान के चार निगेटिव हैं) निकाली है। बेशक, मौके से 21 उंगलियों के निशान निशान उठाए गए थे। अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह आरोपी के खिलाफ किसी भी उचित संदेह के बोध से परे अपना मामला साबित करे। प्रस्तुत किए गए सबूत स्पष्ट होने चाहिए और यह अटकलें/संदेह का कोई मौका नहीं दे सकता कि सबूतों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इस तथ्य के अलावा कि विशेषज्ञ (अभि.सा.-36) द्वारा नहीं देखी गई चार निगेटिव, फाइल पर दिखाई दीं और जाँ.अधि.के पास पहुंचीं, सभी 21 निगेटिव जिनमें उंगलियों के निशान के संबंध में 20 निगेटिव शामिल हैं जो मेल नहीं खाते थे, अभियोजन पक्ष द्वारा उंगलियों के निशान वाले निगेटिव के साथ क्रम में पेश किए जाने चाहिए थे जो प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के नमूना उंगलियों के निशान से मेल खाते थे। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह यह साबित करे कि उंगलियों के निशान के संबंध में 21 निगेटिव में से एक विशेष क्रमांक पर, एक निगेटिव प्रत्यर्थी के नमूना उंगलियों के निशान से मेल खाता था। इस प्रकार, हेड कांस्टेबल

इंदर सिंह, जिन्होंने सहा.उप.नि.चेत राम द्वारा उंगलियों के निशान तैयार किए जाने के बाद उनके फोटो खींची थी, की जांच न करना, एफएसएल के निदेशक अभि.सा.-36 द्वारा निगेटिव प्रस्तुत न करना; उंगलियों के निशान क्यू-1 से क्यू-20 और क्यू-13/ए के सभी 21 निगेटिव क्रमवार प्रस्तुत न करना, जिसमें उस विशिष्ट निगेटिव का उल्लेख न किया गया हो जिसमें उंगलियों के निशान थे और जो प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के नमूना उंगलियों के निशान से मेल खाते थे; कहानी का परिचय कि प्रत्यर्थी राम पाल सिंह को पुलिस उपायुक्त यू.एन. राव द्वारा फिंगर प्रिंट ब्यूरो से प्राप्त अनौपचारिक सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था क्योकि एक उंगली का निशान दिनांक 19.02.1994 को मिले प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के नमूना उंगलियों के निशान से मेल खाता था; पुलिस उपायुक्त यू.एन. राव से इस बारे में पूछताछ न करना कि अनौपचारिक सूचना कैसे और किसके द्वारा दी गई, प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के नमूना अंगुलियों के निशानों के साथ संयोगवश मिले निशानों के मिलान के संबंध में बहुत गंभीर संदेह पैदा करता है। इसलिए इस परिस्थिति को विचारण न्यायालय द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया था और तदनुसार, हम परिस्थिति सं. 4 पर विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष को बरकरार रखते हैं। हालांकि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के निदेशक की रिपोर्ट दं.प्र.सं. की धारा 293

के तहत स्वीकार्य है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि हमारी उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर रिपोर्ट स्वयं संदिग्ध हो जाती है।

<u>परिस्थिति सं. 5</u>

27. प्रत्यर्थी राम पाल सिंह से 7067 रुपये के करेंसी नोटों की बरामदगी हमारे पिछले अवलोकन और *पुलुकुरी कोट्टाया* के संदर्भ के मद्देनजर कोई महत्व नहीं रखती है क्योंकि बरामद नोटों को अपराध के साथ जोड़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं मिला था। वर्तमान मामले के तथ्यों में एक संपन्न व्यक्ति से कथित बरामदगी असम्बद्ध है और प्रासंगिक नहीं है।

<u>परिस्थिति सं. 6</u>

28. अब हम राजस्थान के चौबारा गांव में राम पाल सिंह के पिता के घर से आभूषणों की कथित बरामदगी की ओर रुख करेंगे, जिसके बारे में आरोप है कि आभूषणों को प्रत्यर्थीगण ने मृतक के घर से लूटा था। प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के दिनांक 20.02.1994 को किए गए खुलासे के बयान के अनुसरण में, राम पाल सिंह के पैतृक घर पर दिनांक 21.02.1994 की सुबह 7:30 बजे पुलिस द्वारा छापा मारा गया और कुछ सोने की वस्तुएं जैसे *कड़ा* प्र.अभि.-1, एक सज्जन की हीरे की अंगूठी प्र.अभि.-2, महिलाओं की अंगूठियां प्र.अभि.-5 और अभि.-7 और

चेन के टूटे हुए टुकड़े प्र.अभि.-3 और अभि.-4 कथित तौर पर गांव चौबारा में पहले बताए गए घर से बरामद किए गए थे। तलाशी के समय पुलिस पक्ष ने दो सरकारी गवाहों, यानी सुमेर सिंह (अभि.सा.-6) और राम कुमार सिंह (अभि.सा.-7) को शामिल किया था। दोनों सरकारी गवाहों ने इस बात से इनकार किया कि घर की तलाशी उनकी मौजूदगी में ली गई थी या कथित तौर पर सामान उनकी मौजूदगी में बरामद किया गया था। यह सच है कि छापेमारी और बरामदगी में शामिल पुलिस अधिकारियों की गवाही को सिर्फ़ इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकारी गवाहों ने तलाशी और बरामदगी का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थितियों में सरकारी गवाहों के साक्ष्य को तौला और परखा जाना चाहिए।

29. हालाँकि, सबसे पहले हम यह देख सकते हैं कि मामले में कथित वसूली प्रत्यर्थी राम पाल सिंह की मौजूदगी में प्रभावित नहीं हुई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसके द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में किसी महत्वपूर्ण तथ्य की खोज हो सकती है और यह अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगी। हालांकि, दिनांक 21.02.1994 के रिमांड अनुरोध के अवलोकन से पता चलता है कि राम पाल सिंह का रिमांड पुलिस द्वारा (दोपहर 2:00 बजे के बाद) इस आधार पर मांगा गया था,

अन्य बातों के साथ-साथ, कि '*लूटी गई संपत्ति दिल्ली के बाहर से बरामद की जानी है*' जबकि वसूली मेमो प्र.अभि.सा.-6/ए के साथ अभि.सा. -6 और अभि.सा.-7 (सार्वजनिक गवाह) के बयान के साथ-साथ अभि.सा.-21 निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह और अभि.सा.-22 अभि.सा. एम.एस. सांगा के आधिकारिक गवाहों से पता चलता है कि कथित तलाशी राम पाल सिंह के पिता के घर पर उनकी अनुपस्थिति में सुबह 7:30 बजे पहले ही की जा चुकी थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि या तो पुलिस हिरासत रिमांड की मांग करने वाले आवेदन में किया गया अनुरोध गलत तरीके से किया गया था (क्योंकि बरामदगी पहले ही हो चुकी थी) या फिर बरामदगी उस तरीके से नहीं हुई जैसा कि वसूली ज्ञापन प्र.अभि.सा.-6/ए के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है।

30. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने आग्रह किया है कि प्रत्यर्थी के गांव में एक अलग पुलिस दल भेजा गया था और जिस जाँ.अधि. ने अनुरोध किया था, उसे शायद यह पता नहीं था कि बरामदगी पहले ही हो चुकी है। उस स्थिति में, चूंकि प्रत्यर्थी राम पाल सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और भले ही अनुरोध करने वाले पुलिस अधिकारियों को बरामदगी के बारे में पता न हो (हालांकि यह बेहद असंभव है क्योंकि सूचना हमेशा समय-समय पर दी जाती है), रिमांड अनुरोध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होगा कि बरामदगी के लिए प्रत्यर्थी के गांव

में एक टीम पहले ही भेजी जा चुकी है और यह नहीं कहा गया होगा कि पुलिस रिमांड के उद्देश्य के रूप में आभूषणों की बरामदगी की जानी है।

31. जैसा भी हो, हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि अपराध करने का मकसद घर से या मृतक के शरीर से कीमती सामान लूटना था। इस स्तर पर, हम शिकायतकर्ता के बयान प्र.अभि.सा.-4/ए का संदर्भ देना चाहेंगे जिसके आधार पर तत्काल प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी और थानाध्यक्ष द्वारा उस पर किए गए समर्थन प्र.अभि.सा-46/ए का संदर्भ देना चाहेंगे। अपने बयान में, मृतक के पिता शिकायतकर्ता जो अपने बेटे, बहू और नाती-नातिनों के साथ लगातार संपर्क में थे, ने मृतक के शवों या घर से गायब किसी भी वस्तु के बारे में पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। पृष्ठांकन प्र.अभि.सा.-46/ए के अवलोकन से पता चलता है कि कलाई घड़ियाँ, वीडियो कैमरा, वीसीआर, आदि जैसी महंगी वस्तुएँ बरकरार पाई गईं। इतना ही नहीं, मृतक राजेश कौर की कलाई पर चार सोने की चूड़ियाँ मौजूद थीं। मृतका सरन पाल सिंह की कलाई पर रोलेक्स घड़ी भी मौजूद थी। मृतका राजेश कौर के भाई अभि.सा.-3 अमरजीत सिंह का बयान शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान प्र.अभि.सा.-4/ए के विपरीत है जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि जब उन्होंने सरन पाल सिंह

का शव देखा, तो उन्हें वह *कड़ा,* अंगूठी और चेन नहीं मिली जो वह पहनते थे। उन्होंने गवाही दी कि उनकी बहन की कलाई पर दोनों चूड़ियाँ मौजूद थीं, लेकिन उनका *मंगलसूत्र,* चेन और अंगूठियाँ नहीं थीं। उन्होंने कहा कि नाक की पिन और दो अंगूठियाँ और कान के टॉप भी मौजूद थे। यह असंभव और अविश्वसनीय है कि अपराधी, इस मामले में प्रत्यर्थी, मृतक राजेश कौर की रोलेक्स घड़ी, सोने की चूड़ियाँ, कान की बालियाँ और उंगली पर दो अंगूठियाँ जैसी महंगी चीज़ें नहीं निकालेंगे और केवल मामूली सामान लेकर भाग जाएँगे। हम यह भी ध्यान दें कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रत्यर्थी राम पाल सिंह काफी पढ़े-लिखे थे क्योंकि वह शेयरों का कारोबार करते थे और इस प्रकार, उन्हें रोलेक्स घड़ी और अन्य महंगी वस्तुओं के मूल्य के बारे में पता होना चाहिए जिन्हें छीनना बहुत आसान था। मामले का एक और पहलू है। निस्संदेह, प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के नमूना उँगलियों के निशान पुलिस द्वारा 14.02.1994 को प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार, कम से कम इस तिथि को, उसे पता था कि उसके प्रति संदेह था। प्रत्यर्थी के पास अपने पिता के घर से बरामद कथित लूटे गए आभूषणों को हटाने, नष्ट करने और निपटाने का पर्याप्त अवसर था क्योंकि उसे केवल दिनांक 19.02.1994 को गिरफ्तार किया गया था। *प्रदीप गांधी बनाम राज्य* (दिल्ली सरकार), आपराधिक अपील सं.76/1997, 18.01.2010 को तय किए गए खंड पीठ के फैसले से हमारा मत समर्थित है, जहां समान परिस्थितियों में

कुछ सोने के आभूषणों की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया गया था, जबकि बाकी आभूषण शव पर ही छोड़ दिए गए थे। रिपोर्ट का पैरा 25 नीचे उद्धृत है:

> *25. इसके अलावा, इस मामले की प्रारंभिक जांच करने वाले अभि.सा. 19, उप.नि. बदलू खान ने बताया कि जांच कार्यवाही के बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी स्थित, शवगृह भेज दिया गया था। कांस्टेबल दलबीर शवगृह से वापस आते वक़्त एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने के टॉप्स और एक पेंडेंट लेकर आया, जिसे सब्जी मंडी स्थित शवगृह में मृतका शन्नो भंडारी के शरीर से निकालकर उसे सौंप दिया गया, जिन्हें मेमो प्र.अभि.सा.10/ए के तहत जब्त कर लिया गया था। मृतक के शरीर पर सोने के आभूषणों की मौजूदगी, खास तौर पर सोने के टॉप और सोने का पेंडेंट जिसे मृतक के शरीर से आसानी से हटाया जा सकता था, इस सिद्धांत को नकारता है कि हत्या का मकसद लूटपाट था। अगर अपीलकर्ता का मकसद लूटपाट था, तो जाहिर है कि उसने सोने की चेन प्र.अभि.-3 के साथ ही अन्य सोने के आभूषण भी ले लिए होते। उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के कहने पर सोने की चेन प्र.अभि.-3 की बरामदगी या उद्देश्य को स्थापित करने में असफल रहा।*

32. इस मामले को देखते हुए, हम प्रत्यर्थी राम पाल सिंह के पिता के घर से पहले बताई गई वस्तुओं की बरामदगी पर विश्वास करने के लिए

इच्छुक नहीं हैं। इसलिए टीआईपी में उनकी पहचान अप्रासंगिक हो जाती है।

<u>परिस्थिति सं. 8</u>

33. अभियोजन पक्ष ने प्रत्यर्थी परविंदर सिंह के कहने पर कुछ शेयर प्रमाणपत्रों की बरामदगी का दावा किया है। वर्ष 1994 में, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को केवल अंतरण विलेख पर हस्ताक्षर करके और शेयरों की डिलीवरी करके ही स्थानांतरित किया जा सकता था। साथ ही, शेयरों के हस्तांतरण का हमेशा एक स्थायी रिकॉर्ड होता था। शेयर प्रमाणपत्रों का कभी भी मुद्रा की तरह खुले बाजार में निपटान नहीं किया जा सकता था। कोई भी हमेशा यह पता लगा सकता था कि किसी विशेष तिथि पर शेयरों का धारक कौन था और समय-समय पर इसे किसने स्थानांतरित किया। भले ही शेयर प्रमाणपत्र धारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कुछ खाली अंतरण विलेख के साथ हों, लेकिन उन्हें सामान्य रूप से शेयर दलाल के पास दर्ज किया जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रत्यर्थी राम पाल सिंह, जो शेयरों का कारोबार करता था, अच्छी तरह जानता होगा कि अगर वह कथित रूप से चुराए गए शेयरों को बाजार में बेचता है तो उसे पकड़ा जा सकता है। वास्तव में, यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि राम पाल सिंह ने मृतक सरन पाल सिंह और उसके परिवार के पास मौजूद शेयर प्रमाणपत्रों को हटाने के लिए हत्या की साजिश रची हो। इसके अलावा,

जैसा कि ऊपर बताया गया है, परिस्थिति सं. 6 से निपटने के दौरान, कम से कम दिनांक 14.02.1994 को प्रत्यर्थी राम पाल सिंह पर संदेह था और इसलिए, समझ्दारी कहती है कि प्रत्यर्थी परविंदर सिंह ने उन सबूतों को हटा दिया होगा और नष्ट कर दिया होगा जो प्रत्यर्थीगण को फंसा सकते थे। हम यह भी मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि हत्या का मकसद लूटपाट था जैसा कि हमने परिस्थिति सं. 6 से निपटने के दौरान ऊपर माना है। सभी कारण समान रूप से इस परिस्थिति पर भी लागू होते हैं। इसलिए, यह परिस्थिति प्रत्यर्थीगण को दोषी ठहराने के लिए स्थापित नहीं की जा सकती।

<u>परिस्थिति सं. 9</u>

34. प्रत्यर्थीगण ने 20.02.1994 और 21.02.1994 को *गंडासों* को फेंकने के बारे में खुलासा बयान दिया। जैसा कि पहले कहा गया था कि परिस्थिति सं. 6 से निपटने के दौरान, चूंकि प्रत्यर्थी राम पाल सिंह दिनांक 14.02.1994 से संदिग्धों में से एक था, इसलिए उसके पास अपने खिलाफ़ सबूत मिटाने के लिए *गंडासों* को उस जगह से हटाने का पूरा मौका था जहाँ उन्हें फेंका गया था। इसके अलावा, यह असंभव है कि दिनांक 20.02.1994/21.02.1994 को खुलासा बयान दर्ज करने के बाद, जाँ.अधि. 26.02.1994 को बरामदगी को प्रभावी करने के लिए छह दिनों तक इंतजार करेगा। जां. अधि. ने इस बात का कोई

स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसे *गंडासों* की बरामदगी के लिए पुलिस स्टेशन से ज़्यादा दूर न होने वाली जगह पर पहुँचने में छह दिन क्यों लगे। इसके अलावा, *गंडासों* पर पाए गए खून के धब्बों के ब्लडग्रुप का पता नहीं लगाया जा सका ताकि मृतक के ब्लडग्रुप से उसका मिलान किया जा सके और इस प्रकार, *पुलुकुरी कोट्टाया* में दिए गए फ़ैसले के मद्देनज़र कथित प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य की खोज नहीं कही जा सकती। डॉक्टर की राय कि मृतकों के शरीर पर चोटें *गंडासों* प्र.अभि.-21 और अभि.-22 के कारण संभव थीं तथा *गंडासों* पर मानव रक्त की उपस्थिति को केवल पुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, बशर्ते कि अपराध करने के साथ प्रत्यर्थीगण को जोड़ने के लिए कुछ भौतिक साक्ष्य हों।

35. *सत्तातिया बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 3 एससीसी 210 में,* इसी तरह की परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी के खून से सने कपड़ों को कोई महत्व देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अपराध से उसका कोई संबंध नहीं था। पैरा 26 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न टिप्पणी की:-

> *"26. अगली बात जो देखने वाली है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता के कपड़ों और अपराध के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए आधे ब्लेड की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य विश्वसनीय हैं और अपीलकर्ता के खिलाफ़ गैर*

इरादतन हत्या के आरोप को साबित करने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से दिए गए बयान की रिकॉर्डिंग वाला कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया, जिसमें कपड़े और आधे ब्लेड की बरामदगी में मदद करने की इच्छा व्यक्त की गई हो। अभियोजन पक्ष का मामला कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से सूचना देने के लिए कहा और कपड़े, आधा ब्लेड और रूमाल की खरीद की बरामदगी के लिए पुलिस को ले गया, अत्यधिक संदिग्ध है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता ने तीन तारीखों यानी दिनांक 3-10-1994, दिनांक 5-10-1994 और दिनांक 6-10-1994 को क्रम में सूचना क्यों दी। "गणेश भुवन" का कमरा सं. 45, जहाँ से कपड़े बरामद किए जाने की बात कही गई है, खुला हुआ परिसर था, जहाँ कोई भी पहुँच सकता था। अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट नहीं कर सका कि अपीलकर्ता का कथित कमरा बिना किसी ताले के कैसे हो सकता है। कमरे में किसी भी तरह की आवासीय व्यवस्था न होना भी कपड़ों की बरामदगी की वास्तविकता और प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। "गणेश भुवन" के सामने लकड़ी के बोर्ड के नीचे से सड़क किनारे से आधा ब्लेड बरामद होना भी विश्वसनीय नहीं है। निर्विवाद रूप से, जिस स्थान से आधा ब्लेड बरामद होने की बात कही गई है वह एक खुली जगह है और हर किसी की उस जगह तक पहुंच थी जहां से ब्लेड बरामद होने की बात कही गई है। इसलिए, आधे ब्लेड की बरामदगी के बारे में अभियोजन पक्ष के सिद्धांत पर विश्वास करना मुश्किल है। बरामदगी से संबंधित साक्ष्य की विश्वसनीयता इस तथ्य से काफी हद तक कम हो गई है कि भले ही रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार शर्ट,

पैंट और आधे ब्लेड पर पाए गए खून के धब्बे मानव रक्त के थे, लेकिन उन्हें मृतक के खून से नहीं जोड़ा जा सका। दुर्भाग्य से, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी में इस गंभीर कमी को नजरअंदाज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त के कपड़ों और आधे ब्लेड पर मानव रक्त के धब्बे की उपस्थिति उसे हत्या से जोड़ने के लिए पर्याप्त थी।"

36. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान अति.सत्र.न्या. द्वारा बरी किए जाने का निष्कर्ष गलत है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। दूसरी ओर, ऊपर बताए गए कारणों से, हम विद्वान अति.सत्र.न्या. द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन करते हैं।

37. इसलिए अपील को विफल होना है; तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(श्री जी.पी. मित्तल)
न्यायाधीश

(संजीव खन्ना)
न्यायाधीश

जनवरी 24, 2014
वी.के.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*